उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्या-2249/नौ-4-15-31टी0एस0/2015
लखनऊ: दिनांक-09 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील सं0-2608/2011 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक-27-04-2012 का आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

In the ultimate analysis, we conclude and hold that Section 3 (7) of the 1994 Act and Rule 8A of the 2007 Rules are ultra vires as they run counter to the dictum in M Nagaraj (supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (supra) and without the aid or assistance of Section 3(7) and Rule 8A shall remain undisturbed.

2. मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय दिनांक-27-04-2012 के अनुपालन में कार्मिक विभाग के पूर्व शासनादेश सं0-4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012, दिनांक-28;04;2012 में यह आदेश पारित किये गये थे कि पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नति प्राप्त कार्मिकों के सम्बन्ध में जब तक कोई निर्देश प्रसारित न किये जाये तब तक पदावनति की कार्यवाही न की जाय। उपरोक्त शासनादेश के क्रम में अब कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012, दिनांक-21.08.2015 के प्रस्तर-6(क) के अनुसार निम्नवत कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये है:-

> उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनॉक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथासंशोधित) के नियम-8(क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गयी है, उन्हें पदावनत कर दिया जाये। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 08-05-2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनॉक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8 क लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हों, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाये।

3. कार्मिक विभाग के उपर्युक्त शासनादेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012, दिनांक-21.08.2015 के अनुपालन में सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित

राजस्व सेवा संवर्ग के निम्न कर निर्धारण अधिकारियों को सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित पद पर तात्कालिक प्रभाव से पदावनत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदनाम	वर्तमान तैनाती	पदावनत पद का नाम
1	2	3	4	5
1	रवीन्द्र कुमार	कर निर्धारण अधिकारी	नगर निगम, फिरोजाबाद	अधीक्षक
2	भोला नाथ	कर निर्धारण अधिकारी	नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर	अधीक्षक

4. पदावनत किये जाने पर, आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा तथा श्री रवीन्द्र कुमार को उनके साथ नियुक्त आसन्न वरिष्ठ श्री विनोद बिहारी वर्मा अधीक्षक नगर निगम, मुरादाबाद तथा श्री भोला नाथ को उनके साथ नियुक्त आसन्न वरिष्ठ श्री नीरज कुमार सिंह, अधीक्षक नगर निगम, इलाहाबाद को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर पदावनत का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रहीं परिलब्धियाँ (मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिए पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अंतर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षों में उस सीमा तक कम होता जायेगा जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियाँ तब तक फ्रीज रहेंगी जब तक कि पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियाँ इसके बराबर या इससे अधिक न हो जायें।

5. आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाऐं प्राप्त करेंगे।

6. पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल नहीं होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नही होगा।

7. अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की माँग नही की जायेगी कि वे पदावनत कर्मी से वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ हैं।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव

संख्या- 2249 (1)/नौ-4-15-31टी0एस0/2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।

2- नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद।

3- जिलाधिकारी बुलन्दशहर। न०पा०परि०

4- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, बुलन्दशहर ।

5 सम्बन्धित कार्मिक।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिहं)
विशेष कार्याधिकारी।